न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

10/2019

केदारसिंह पुत्र श्री मदनसिंह मुकामपोस्ट पलेई वाया वनस्थली विद्यापीठ तहसील निवाई जिला–टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला–टोंक
लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 13.5..2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को दिनांक 24–1–2019 को तथा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को दिनांक 19–2–2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया।

ग्राम पलेई के खसरा नम्बर रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा था। उमराव सिंह तथा उनके भाइयों ने अपना हिस्सा 7 बीघा 04 बिस्वा भूमि कमशः श्रीमति जया डासवाणी, सरोज अग्रवाल, देवी डासवाणी, राजेश पारीक व श्रीमति भूमि देवी को बेच दिया तथा नामान्तकरण आदि कार्य भी पूर्ण कर लिए गये। बेचे गये हिस्से की संख्या 1598/1 अंकित की गई। इस सम्बन्ध में निम्प अभिलेख व सूचना प्रदान करें'–

(अ) खसरा संख्या 1598/1 प्राथमिक डिकी(पी.ड) रंग भरी हुई प्रतिलिपि।
(ब) उक्त खसरा संख्या 1598/1 की कुरे जात रिपोर्ट–पटवारी, गिरदावर सहित।
(स) खसरा संख्या 1598/1 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा की फाईनल डिकी की प्रतिलिपि।
उक्त खसरा संख्या 1598/1 का बनाया गया ट्रेस।
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 22–8–2016 को तहसीलदार अरूण शर्मा को लिखा गया पत्र कमांक 20113 दिनांक 22–8–2016 की प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई/तहसीलदार निवाई के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई/तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 304–6 दिनांक 11–4–2019 द्वारा पत्र लिखा जाकर जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई ने पत्र कमांक 598 दिनांक 26–4–2019 से जवाब

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रेषित कर प्रतिलिपि आवेदक को दी है कि आप न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई के उनवान, वाद संख्या व निर्णय दिनांक उपलब्ध करावे जिससे आपको उक्त सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। इसी प्रकार लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ने भी पत्र कमांक 2639 दिनांक 23–4–2019 से जवाब भिजवाते हुए प्रतिलिपि आवेदक को प्रदान की है। आवेदक को सूचना/जवाब भिजवाया जा चुका है। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत 30 दिवस में आवेदक को सूचना/जवाब भिजवाया जाना सुनिश्चित्त करें। चूँकि आवेदक को न्यायालय में भिजवाए गये जवाब के साथ प्रति प्रेषित की गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner